न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 16/2020

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. पलविन्द्र कौर पत्नि सुखदेव सिंह जटसिख निवासी चक 40 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. मनप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जटसिख नाबालिग निवासी चक 40 जीजी तहसील श्रीकरणपुर जरिए संरक्षक माता पलविन्द्र कौर 3. कलवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जटसिख निवासी चक 40 जीजी जरिए संरक्षक माता पलविन्द्र कौर पत्नि सुखदेव सिंह	1. सुखदेव सिंह पुत्र छोटू सिंह जटसिख निवासी 40 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 03.03.2020

उपस्थित: 1.श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

--निर्णय--

दिनांक: 23/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 40 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 250/61 के मुरब्बा नम्बर 112 के किला नम्बर 9 व 10 सालम-सालम व किला नम्बर 11/4 का 0.113 हैक्टर कुल 0.619 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि अप्रार्थी को अपने पिता छोटू सिंह से प्राप्त हुई है। इसलिए उक्त भूमि जद्दी जायदाद है। जद्दी जायदाद होने के कारण प्रार्थी संख्या 2 व 3, अप्रार्थी के साथ 1/3 हिस्सा के हकदार है। अप्रार्थी नशा करने का आदी है। जो नशेडी प्रवृति के कारण जद्दी जायदाद में से अपने हिस्सा में से मुरब्बा नम्बर 112 की दो बीघा भूमि किला नम्बर 1 व 2 को बेचान सरदूल सिंह पुत्र अजमेर सिंह को कर चुका है। अब शेष बची भूमि 0.619 हैक्टर भूमि का भी बेचान करना चाहता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित जद्दी जायदाद में प्रार्थीगण का हिस्सा देने को कहा तो उसने दिनांक 10.02.2020 को गांव श्रीनगर 40 जीजी में रोबरू पंचायत प्रार्थीगण को कोई हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अगर अप्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि बेचान कर [illegible] क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19[illegible] अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थी के विरूद्ध [illegible] पारित की जावे कि वे ताफैसला दावा चक 40 जीजी की जमाबन्दी [illegible] 2076 ता 79 के [illegible] संख्या 250/61 के मुरब्बा नम्बर 112 के किला नम्बर 9 व 10 सालम-सालम व किला [illegible] 11/4 का 0.113 हैक्टर कुल 0.619 हैक्टर नहरी भूमि की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे, व किसी भी तरीके से मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha R
Date: 2021.03.02 11:45:14
Reason: SelfAttested

23/02/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब की गई।

बहस वकील प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने पत्रावली एंव उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एंव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करना आवश्यक समझते है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए क्योंकि साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हो तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

अप्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 901 दिनांक 05.05.2016 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सुखदेव सिंह को अपने पिता छोटू सिंह से जरिए दानपत्र प्राप्त हुई है। प्रकरण में छोटू सिंह को वादग्रस्त आराजी किस प्रकार प्राप्त हुई यह साक्ष्य का विषय है जो मूलवाद में निर्णीत होगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया संख्या 2 व प्रार्थी संख्या 3 दोनों नाबालिग है तथा वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को अपने पिता से प्राप्त हुई है। अतः प्रथम दृष्टया भू-अभिलेखों को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पिता से प्राप्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। पैतृक पुश्तैनी है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को अपने पिता से जरिए दानपत्र प्राप्त हुई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनना सिद्व होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपुर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादिया /प्रार्थिया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूकिं हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला पूर्व में ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है।

अतः वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत शपथ पत्रों/दस्तावेजो तथा प्रथम दृष्टया मामला पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। यदि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 जो कि नाबालिग है, को अपूरणीय क्षति कारित होगी। यदि उक्त प्रकार से व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हक विधि संगत समझते है।

2/3/21

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थायी व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी इस आश्य का पारित किया जाता है कि वे चक 40 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 250/61 के मुरब्बा नम्बर 112 के किला नम्बर 9 व 10 सालम-सालम व किला नम्बर 11/4 का 0.113 हैक्टर कुल 0.619 हैक्टर नहरी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करे, एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तातंरण करे। पत्रावली इसी स्तर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मूलवाद के साथ संलग्न हो।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23/02/21 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested